सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00216

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 53/2020

1. वीराली वधवा पत्नी रॉबिन वधवा निवासी वार्ड नम्बर 12 की भाग संख्या 1, नगरपालिका सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. मनीषा गर्ग पुत्री पवन कुमार
2. अश्वनी गर्ग पुत्र पवन कुमार
3. पवन कुमार पुत्र निरजन लाल
4. निर्मला देवी पत्नी पवन कुमार
5. मोहित गर्ग पुत्र पवन कुमार
6. नीलम रानी पत्नी आश्वनी गर्ग
7. रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), सादुलशहर,जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 17(बी) राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम 1974

उपस्थित :
1.श्री ऋषि ओझा अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री विपीन सिद्व अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस्

:: आदेश :: **दिनांक :–08.12.2020**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से विधि के विपरीत एवंम तथ्यों से परे तथा पत्रावली पर मौजूद दस्तवेजों के विपरीत पारित किया गया है। निर्वाचन अधिकारीयों द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि रेस्पोडेन्ट्स वार्ड नम्बर 16 के मतदाता है और रेस्पोडेण्टस का नाम वार्ड नम्बर 12 की नामावली से हटाया जाना चाहिए और निर्वाचन की प्रकिया में लगे कर्मचारीयों द्वारा यह स्पष्ट रिर्पोट दी गई है कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा वार्ड नम्बर 12 में जिस स्थान पर अपना निवास होना बताया गया है उस स्थल पर वृद्व आश्रम बना हुआ है जो कि स्पष्ट रूप से रेस्पोडेण्ट्स का निवास स्थान नहीं हो सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को बिना किसी तर्क और विवेचना के एक तरफा सोच रखते हुए पारित किया गया है इसलिए ऐसा आदेश निरस्त किया जाकर दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19/11/2020 के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खिलाफ प्रस्तुत की गई अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.11.2020 को निरस्त फरमाया जावें। अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है, साथ ही मौखिक बहस भी सुनी गई है। और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वानअभिभाषक श्री ऋषि औझा ने अपनी बहस में कथन किया हैअधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से विधि के विपरीत एवंम तथ्यों से परे तथा पत्रावली पर मौजूद दस्तवेजों के विपरीत पारित किया गया है। निर्वाचन अधिकारीयों द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि रेस्पोडेन्ट्स वार्ड नम्बर 16 के मतदाता है। इसलिए रेस्पोडेण्टस का नाम वार्ड नम्बर 12 की नामावली से हटाया जाना चाहिए और निर्वाचन की प्रकिया में लगे कर्मचारीयों द्वारा भी स्पष्ट रिर्पोट की गई है कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा वार्ड नम्बर 12 में जिस स्थान पर अपना निवास होना बताया गया है उस स्थल पर वृद्व आश्रम बना हुआ है जो कि स्पष्ट रूप से रेस्पोडेण्ट्स का निवास स्थान नहीं हो सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को बिना किसी तर्क और विवेचना के एक तरफा सोच रखते हुए पारित किया गया है इसलिए ऐसा आदेश निरस्त किया जाकर दुरूस्त फरमाया जाना आवश्यक है।

रेस्पोडेन्ट्स के विद्वानअभिभाषक श्री विपिन सिद्व अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि **माननीय राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के आदेश क्रमांक 4787 दिनांक 31.07.2020 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि तक उक्त नियमों के अधीन आदेश जारी किये जा सकते है, इसके पश्चात् नहीं।** इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 27.11.2020 निश्चित थी । यह तिथि अब निकल चुकी है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब कोई नाम हटाया या जोड़ा नहीं जा सकता है। अपीलार्थी के कथनों के अनुसार यदि अपील का निर्णय होता है कि प्रत्यर्थीगण अपने मताधिकार से वंचित हो जायेगें, जो स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थीगण को भारतीय संविधान से प्रदत्त वोटिंग राईट से वंचित करना होगा, जिसकी कोई भी कानून ईजाजत नहीं देता है। लोक प्रतिनिधितत्व एक्ट की धारा 20 के अनुसार जो व्यक्ति जिस स्थान का साधारण निवासी होता है, उस स्थान की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होना आवश्यक है। प्रत्यर्थीगण नये वार्ड नं. 12, जो पुराने वार्ड नं. 10 व 11 का भाग है, के स्थाई निवासी है एवं वार्ड नं. 12 के जिस मकान में प्रत्यर्थीगण निवास कर रहे है, वह मकान प्रत्यर्थी पवन कुमार की माता गुरों देवी पत्नि श्री निरंजनलाल द्वारा वर्ष 19681 में खरीद किया गया व उनकी मृत्यु के पश्चात् यह मकान प्रत्यर्थी पवन कुमार के हिस्सा में आ गया, जिसमें प्रत्यर्थीगण निवास कर रहे है । प्रत्यर्थीगण का आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र इसी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मकान के बने हुये है। ये समस्त दस्तावेजात काफी वर्ष पुराने है, जो अब अस्तित्व में नहीं आ सकते। इस आधार पर यह पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रत्यर्थीगण नये वार्ड नं. 12 में ही निवास कर रहे है। वार्ड नं. 16 का मकान भी प्रत्यर्थीगण का है, जो इस मकान के बिल्कुल सामने हैं, यह मकान प्रत्यर्थीगण ही उपयोग में लेते है। अब यह प्रत्यर्थीगण की एकल ईच्छा है कि वह वार्ड नं. 12 के मकान में अपना मत रखना चाहते है, दोनों मकान गली में आमने सामने है। प्रत्यर्थीगण का वार्ड संख्या 12 के भाग संख्या–1, क्रम संख्या 14 ता 19 के अतिरिक्त पूर्ण भारतवर्ष में किसी भी अन्य मतदाता सूची में नाम नहीं है। प्रत्यर्थीगण नये वार्ड नं. 12 के सामान्य निवासी है। वार्ड नं. 11, जो नया वार्ड नं. 12 है, पुराने वार्ड नं. 10 के भाग व 11 के भाग को मिलाकर नया वार्ड नं. 12 गठित किया गया है। वर्ष 2015 नगर पालिका चुनाव में प्रत्यर्थीगण का वोट इसी पुरानें वार्ड नं. 11 की भाग संख्या 156, अनुभाग सं. 1, शहीद मार्ग की क्रम संख्या 21,22,23,27 व 28 पर दर्ज है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भी प्रत्यर्थीगण का नाम भाग संख्या 156, अनुभाग संख्या 1 शहीद मार्ग के क्रम संख्या 17,18,19,23,24 व 25 पर दर्ज है व इसी प्रकार वर्ष 2019के लोकसभा चुनाव में प्रत्यर्थीगण का नाम भाग संख्या 156, अनुभाग संख्या 1 शहीद मार्ग के क्रम संख्या 17,18,19,23,24 व 25 पर दर्ज है। अब नये वार्ड संख्या 12, भाग संख्या–1 के क्रम संख्या 14 ता 19 पर प्रत्यर्थीगण का नाम दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वर्ष 2015 के नगर पालिका चुनाव, 2018 के विधानसभा चुनाव वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्यर्थीगण द्वारा इसी वार्ड की मतदाता सूची में अपने नाम के मताधिकार का प्रयोग किया गया है।अपीलार्थी विराली वधवा के द्वारा प्रत्यर्थीगण का नाम निर्वाचक नामावली से हटाये जाने हेतु आक्षेप अधीनस्थ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जो दिनांक 19.11.2020 को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा यह आक्षेप दिनांक 13.11.2020 को प्रस्तुत किये गये थे। अपीलार्थीगण के द्वारा आक्षेप में यह आधार लिया गया था कि प्रत्यर्थीगण सादुलशहर से बाहर निवास करते है, यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 20.07.2020 को कर दिया गया। इससे पूर्व अपीलार्थी के द्वारा कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये गये। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् मतदाता के अलावा अन्य कोई तृतीय व्यक्ति आक्षेप प्रस्तुत नही कर सकता । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी विराली वधवा को आक्षेप प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण का वार्ड नं. 12 की मतदाता सूची में नाम कटवाकर वार्ड नं. 16 में जुड़वाना चाहती है, यह अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं है, बल्कि यह प्रत्यर्थीगण की ईच्छा पर निर्भर होता है। किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा कथित वृद्धाश्रम भी प्रत्यर्थी के परिवार संचालिज कर रहे हैं, जो केवल 5–7 व्यक्ति जिनकी प्रत्यर्थी द्वारा सेवा की जाती है एवं प्रथम तल पर प्रत्यर्थी का परिवार निवास करता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रत्यर्थीगण का मतदाता सूची से नाम कटवाकर प्रत्यर्थीगण को मताधिकार से वंचित कर सके। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(5) में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम नहीं हो और नगरपालिका के किसी वार्ड का मामूली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तौर से निवासी है, उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा अर्थात नगरपालिका के किसी वार्ड का मामूली निवासी होना ही नगरपालिका अधिनियम 2009 में वर्णित है। इसी प्रकार धारा 14 में केवल मात्र तीन उपबंध दिये हुये है, जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या विकृत चित्त है अथवा भ्रष्ट आचारण और अपराध से सम्बन्धित किसी विधि के उपबंधो के अधीन मतदान करने के लिए रोका गया है, ये तीन आधार ही निर्वाचक नामावली में नाम हटाने का आधार दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त और कोई आधार निर्वाचक नामावली से नाम हटाने का नहीं है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण धारा 13(5) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार निर्वाचक नामावली में सही रूप से प्रत्यर्थीगण का नाम मतदाता सूची में अंकित किया गया है व धारा 14 के तीनों उपबंध प्रत्यर्थीगण पर लागु नहीं होते, जिससे कि प्रत्यर्थीगण का नाम निर्वाचक नामावली से हटाया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्ण तथ्यों व विधि तथा माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश के अनुसार दिनांक 19.11.2020 अपीलार्थी की आपत्तियां खारिज की गई हैं।राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 4787 दिनांक 31.07.2020 अनुलग्नक–1, निर्वाचन नियमावली वर्ष 2015 अनुलग्नक–2, निर्वाचन नियमावली वर्ष 2018 अनुलग्नक–3, निर्वाचन नियमावली वर्ष 2019 अनुलग्नक–4, विक्रय पत्र गुरों देवी अनुलग्नक–5, दस्तबरदारी अनुलग्नक–6, राशनकार्ड पवन कुमार अनुलग्नक–7, राशनकार्ड अश्वनी कुमार अनुलग्नक–8, मतदाता पहचान पत्र पवन कुमार अनुलग्नक–9, आधार कार्ड पवन कुमार अनुलग्नक–10, मतदाता पहचान पत्र अश्वनी गर्ग अनुलग्नक–11, आधारकार्ड अश्वनी गर्ग अनुलग्नक–12, मतदाता पहचान पत्र नीलम रानी अनुलग्नक–13, आधार कार्ड नीलम रानी अनुलग्नक–14, मतदाता पहचान पत्र मनीषा गर्ग अनुलग्नक–15, आधार कार्ड मनीषा गर्ग अनुलग्नक–16, पहचान पत्र मोहित गर्ग अनुलग्नक–17, आधार कार्ड मोहित गर्ग अनुलग्नक–18, मतदाता पहचान पत्र निर्मला देवी अनुलग्नक–19 व आधार कार्ड निर्मला देवी अनुलग्नक–20 हैं ।

अतः प्रतिवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 04.12.2020 को आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 10(6) राजस्थान नगरपालिका नियम 1994 पेश का निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण की इस आपत्ति को प्रांरभिक आपति के रूप में निर्णित कर अपील खारिज करने का आदेश प्रदान करें। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष की बहस दिनांक 02.12.2020 को पूर्ण रूप से सुनी जा चुकी थी इसलिए अंतिम बहस के बाद प्रारंभिक आपत्ती पर विचार नहीं किया जा सकता और अंतिम बहस के बाद कोई प्रार्थना पत्र भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण वार्ड नं0 16 के निवासी है इसलिए प्रत्यर्थीगण का नाम वार्ड नं.12 की नामावली से विलोपित किया जावे। अपीलार्थीया का तर्क है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों ने अपनी रिपोर्ट में यह स्टष्ट अंकित किया है कि प्रत्यर्थीगण वार्ड नं.16 के निवासी है फिर भी उपखण्ड

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी सादूलशहर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19/11/2020 में निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के आक्षेप के लिए आवेदन की रिपोर्ट के विपरित प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के पास अपने ही जांच अधिकारी की रिपोर्ट के विपरित आदेश पारित करने के पर्याप्त आधार नहीं थे फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरित आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्कों के विपरित प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई Locus standie नहीं है और यह भी तर्क दिया कि Rajasthan Nagarpalika Amendment2009 की धारा 10 की उपधारा (6) के अनुसार निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख के पश्चात निर्वाचक नामावली की किसी भी प्रविष्टी को संशोधित, अभिग्रहित या लोपित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यंह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय सादूलशहर में दिनांक 13/11/2020 से चल रहा है इसलिए इसके अन्तिम निर्णय के बाद की स्थिति के अनुसार मतदाता सूचि को संशोधित किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 19/11/2020 में अपीलार्थीया के आक्षेप निरस्त करने का मुख्य आधार यह लिया कि पवन कुमार पुत्र निरन्जन लाल के द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि समस्त दस्तावेज वार्ड नं. 12 के बने हुए है और सभी प्रत्यर्थीगण अपना मत वार्ड नं.12 में ही रखना चाहते हैं अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में यह अंकित नहीं किया कि नगरपालिका आम चुनाव 2020 के निर्वाचक नामावली के पूरक (2) में नाम सम्मिलित, हटाने, संशोधित के लिए प्राप्त होने वाले प्रारूपों के भौतिक सत्यापन हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया है कि प्रत्यर्थीगण वार्ड नं. 16 में निवास करते है न कि वार्ड नं. 12 में निवास करते हैं। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने से पूर्व विधिनुसार कमेटी की जांच के खण्डन में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर ही रिपोर्ट (जांच) को नजरअंदाज किया जाना चाहिए था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य न होते हुए भी प्रश्नगत आदेश पारित किया है। यदि वास्तव में प्रत्यर्थीगण वार्ड नं.12 में निवास करते तो कमेटी की जांच के समय प्रत्यर्थीगण वार्ड नं. 12 में निवास करते हुए पाए जाते। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रारूपों के भौतिक सत्यापन हेतु जिस कमेटी का गठन किया गया था जिसके द्वारा जांच दी गई कि प्रत्यर्थीगण वार्ड नं. 16 के निवासी न होकर वार्ड नं.12 के निवासी है के विरोध में कोई कथन में कोई कथन नहीं किया अर्थात् कमेटी की जांच को प्रत्यर्थीगण द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय ने और न ही इस न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति की गई इसलिए कमेटी की राय को अस्वीकार किया जाने का कोई आधार नहीं है।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का तर्क कि अपीलार्थीया को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है चलने योग्य नहीं है क्योंकि नगरपालिका अधिनियम 2009 के नियमों के अनुसार निर्वाचन की प्रक्रिया में नगरपालिका क्षेत्र का कोई मतदाता आपत्ति

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) (राज.)

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। राजस्थानMuncipalities registration of electoral orders 1974 की धारा 10 की उपधारा (3) ए व बी में यह स्पष्ट अंकित हैकि ऐसा कोई व्यक्ति आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसका नाम पहले से ही उस वार्ड की मतदाता सूची में शामिल है विधि के उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता का तर्क माने जाने योग्य नहीं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 01/06/2020 में दिये गए नियमों में भी दावे व आपत्तियों का विवरण दिया गया है इस आधार पर भी प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने जरीये प्रार्थनापत्र में यह भी आपत्ति की कि राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन संशोधित 2009 की धारा 10(6) के अनुसार नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख के पश्चात निर्वाचन नामावली में किसी भी प्रवृष्टि को संशोधित नहीं किया जा सकता। मैंने उक्त विधि के उपबंध का अवलोकन किया। विधि का उपबंध वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते है क्योंकि इस न्यायालय में अपीलार्थीया की अपील राज0 नगरपालिका Registration of electioral orders 1974 के अंतर्गत अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है और इस न्यायालय को प्रार्थनपत्र आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि की स्थिति को देखना है। इसके अतिरिक्त विधि के उक्त उपबंध न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में लागू होते हो ऐसा कोई तर्क या विधि प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है इस अधार पर भी प्रत्यर्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के समग्र विवेचन से मेरी राय में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/11/2020 विधिसम्मत नहीं पाया जाता है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी सादूलशहर का निर्णय दिनांक 19/11/2020 निरस्त किया जाता है। मनिषा गर्ग पुत्री पवन कुमार, अश्विनी गर्ग पुत्र पवन कुमार, पवन कुमार पुत्र निरंजन लाल, निर्मला देवी पत्नी पवन कुमार, मोहित गर्ग पुत्र पवन कुमार एवं नीलम रानी पत्नी अश्विनी गर्ग का नाम वार्ड नं0 12 नगरपालिका सादूलशहर की मतदाता सूची से विलोपित करके वार्ड नं0 16 नगरपालिका सादुलशहर की मतदाता सूची में जोड़ने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner